

क्रमांक/न. पा., चौमूँ/2022/2380

दिनांक 16/8/22

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्र. नि. ब्यूरो
जयपुर-१।

विषय- अभियोग संख्या 261/2022 विरुद्ध श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी) में अनुसंधान के काम में।

प्रसंग- श्रीमान् का पत्रांक: भ्रनिब्यूरो/एसयू-११/2022/1187 दिनांक 16/08/2022 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी) की नियुक्ति लीडर स्टार सिव्क्यूरटी लिमिटेड द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में 13/03/2022 तक की गई थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 को बढ़ाये जाने के साथ ही सहायक नगर नियोजक की नियुक्ति अवधि भी बढ़ायी गयी थी। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.5 ()स्टोर/डीएलबी/2022/2138 दिनांक 24/04/2022 द्वारा दिनांक 13/03/2022 से आगे 3 माह दिनांक 13/06/2022 तक बढ़ायी गयी (आदेश की प्रति संलग्न) एवं निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 ()स्टोर/डीएलबी/2022/2623 दिनांक 08/07/2022 द्वारा 9 माह की अवधि के लिए रखे जा सकेंगे। (आदेश की प्रति संलग्न) उक्त दोनों आदेशों की पालना में ही प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2021 को मध्यनजर रखते हुए श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी) की नियुक्ति अवधि बढ़ायी गयी है। श्री दिवाकर शर्मा की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति, पारिश्रमिक का भुगतान बिल तथा आगामी माह की पारिश्रमिक का भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों से निरन्तर कार्य करना स्पष्ट है।

अतः श्रीमान जी द्वारा चाही गयी सचना सादर पेशित है।